



प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



09 गजकीपुर

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सेवा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं शैख अखीरुद्दीन ** पुत्र/पुत्री/पत्नी शैख अब्दुल क़रीम युसुफ़ ख़ान
आयु 49 वर्ष, जो 156 फुल पाल पो. आठ अमरा एस्टेट शिला
(डक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ

और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- मैं शैख अखीरुद्दीन (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (** जो लागू न हो उसे काट दें)
- मेरा नाम शैख अखीरुद्दीन (अजान) शैख अखीरुद्दीन (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 32 के क्रम सं. 672 पर प्रविष्ट है।
- मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. 9308482860, 8102695055 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शुन्य है। और मेरा सोशल मीडिया एकाउंट (यदि कोई हो) शुन्य है।
- स्थई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कार विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम <u>शैख अखीरुद्दीन</u>	पैन <u>ARJ PA 37388</u>	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
2.	पति या पत्नी	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
3.	आश्रित - 1	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
4.	आश्रित - 2	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>
	आश्रित - 3	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>	<u>शुन्य</u>



अभ्यर्थी किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ।
निर्वाचन में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप धरिबित किया गया है/किए गए हैं।

✓ SUK-AKHIRUDDIN

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन्य
(ख)	सम्बंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	शुन्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुन्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन्य
(च)	क्या सपी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शुन्य

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शुन्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शुन्य

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :



निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	35000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खातें भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरखान/धारुखान/घट/पोत (मेक, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (यस्तुरे) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	10 21/2 सेला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुछ अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/ हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संयुक्त रूप से	30,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



आ. स्थावर आस्तियों के व्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित बालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	0.8 ¹⁰⁰⁰ 0.9 ^{3/4}	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1240 11552 3240	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित बालू बाजार मूल्य	15 ¹⁰⁰⁰	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य



क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	शून्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(i) से (v) का कुल घालू बाजार मूल्य	15- छात्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रलि दाखिलों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दाखिलों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/नोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	यदि कोई अन्य दायित्व विवादार्थी है, तो अंतर्फलित रकम और उस सम्पत्ति जिसके समक्ष यह लम्बित है का विवरण दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

हज़ी (घरेलू)

घरेलू महिला

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

8 वी पास एनकारी गण विद्यालय 1985

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. शेष अखीरुद्दीन		
2.	डाक का पूरा पता	शाक फरहापुर, पोस्ट ऑफिस शाका धारधारा, पूर्वांचल		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	45, धारधारा (अजना) आरखण्ड		
4.	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र पार्टी (अजना)		
5.	(i) ऐसे लम्बित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	शून्य		
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य		
7.		... का स्थायी लेख सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	ARJPA 3738R	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य



8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)

विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क. जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. स्थावर आस्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
I. स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II. क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(क) स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9. दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10. ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।

8वीं पास जवाहर मध्य विद्यालय 1985



सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी लातकिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24.03.2014

को सत्यापित किया गया।

PRAMOD KUMAR BHAGAT
NOTARY PUBLIC
East Singhbhum, Reg.No.2842 (J)
Govt. Of Jharkhand, JSR. INDIA



SK-AKHC RUDDIN
अभिसाक्षी

- टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 5:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कनिश्चर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेनी चाहिए।
- टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को पूरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण : 5 अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं. 121-रिसर्जेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटनिंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटनिंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथाचित टिप्पणी जैसे - 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटनिंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

Signature of L T I.
in my presence
Advocate
Date...
A. K. PRADHAN